(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 23/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "मेथाइल ईथाइल कीटोन" या ''एमईके'' (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में आते हैं, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/26/2016-डीजीएडी, दिनांक 01 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि –

(i) जहां कि विचारार्थ उत्पाद का विषयगत देशों से भारत में आयात सामान्य से कम मूल्य पर किया गया था।

(ii) विषयगत देशों से होने वाले इस प्रकार के भारी आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नीचे दी गई सारणी के कॉलम (8) में निर्दिष्ट राशि और विषयगत वस्तु के प्रति इकाई अवतरण मूल्य के बीच अंतर की राशि के बराबर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है बशर्ते कि यह प्रति इकाई अवतरण मूल्य उक्त सारणी के कॉलम (8) में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि और विषयगत माल के प्रति इकाई अवतरण मूल्य के बीच के अंतर के बराबर की दर से, बशर्ते कि प्रति इकाई अवतरण मूल्य कॉलम (8) में निर्दिष्ट मूल्य से कम हो, में तथा कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्ट मुद्रा में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादक देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातकर्ता	राशि	माप इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	सासोल साउथ अफ्रीका (प्रा.लि.)	सासोल मिडिल ईस्ट एफजेडसीओ	1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
2	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण अफ्रीका	उपर्युक्त (1) से भिन्न अन्य संयोजन		1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
3	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
4	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	दक्षिण अफ्रीका	कोई भी	कोई भी	1224.36	मी. टन	अमरीकी डॉलर
5	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	ताइवान	ताइवान	टास्को केमिकल कारपोरेशन	ताइवान फील्डरिच कारपोरेशन, ताइवान फील्डरिच कारपोरेशन, सोजित्ज एशिया प्राइवेट लि. के माध्यम से	1112.95	मी. टन	
6	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	ताइवान	ताइवान	उपर्युक्त (5) से भिन्न अन्य कोई संयोजन		1112.95	मी. टन	अमरीकी डॉलर
7	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	ताइवान	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1112.95	मी. टन	अमरीकी डॉलर
8	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	ताइवान	कोई भी	कोई भी	1112.95	मी. टन	अमरीकी डॉलर
9	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	जापान	जापान	कोई भी	कोई भी	1065.66	मी. टन	अमरीकी डॉलर
10	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	जापान	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1065.66	मी. टन	अमरीकी डॉलर

11	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	जापान	कोई भी	कोई भी	1065.66	मी. टन	अमरीकी डॉलर
12	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	चीन	चीन	कोई भी	कोई भी	1147.06	मी. टन	अमरीकी डॉलर
13	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	चीन	कोई भी	कोई भी	कोई भी	1147.06	मी. टन	अमरीकी डॉलर
14	2914 12 00	मेथाइल ईथाइल कीटोन या एमईके	कोई भी	चीन	कोई भी	कोई भी	1147.06	मी. टन	अमरीकी डॉलर

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, -

(i) इन आयातों का अवतरण मूल्य वह आंकलन मूल्य होगा जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क में दिए गए शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क आते हैं ।

(ii) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या 354/63/2018 – टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार